

STAMP DUTY EXEMPTED
FOR SC/ST

Valid till 31.03.2024

प्रारंभ 26/03/2023-31/03/2024 2.11.73

(नियम 4क देखिए)

Rs 10
204-14



29- कैदल

निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

लो कसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष
द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

नं. फागराम पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री नन्दे आयु 42 वर्ष, जो
ग्राम/पो. केसला, जिला शेरागाबाद (स.प्र.) (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और
उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता
हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं समाजवादी जन परिषद (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया
अभ्यर्थी/पक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम शेरागाबाद स्वतंत्र क्षेत्र के सिविल लाइव विधानसभा क्षेत्र, म.प्र.
(निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 254 के क्रम सं 677
पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 0786977160 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो
तो) नहीं है। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट (यदि कोई हो तो)
नहीं है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्योरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपय में)
1.	स्वयं	नहीं	— आयकरदाता नहीं —	
2.	पुत्री या पत्नी	नहीं	— आयकरदाता नहीं —	
3.	आश्रित - 1	नहीं	— आयकरदाता नहीं —	
4.	आश्रित - 2	नहीं	— आयकरदाता नहीं —	
5.	आश्रित - 3	X नहीं है	लागू नहीं	लागू नहीं

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेंगी :-

नहीं है

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

कोई नहीं

(क)	मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना / जिला / राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लागू नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	लागू नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त भद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-

कोई नहीं

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	लागू नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	लागू नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धांत ~~तहाराया गया है~~ / नहीं तहाराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश ~~दिया गया है~~ / नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धांत तहाराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

नहीं

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धांत तहाराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

नहीं

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं
(ग)	अधिरोधित दंड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रस्थिति	लागू नहीं

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. जंगम अस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4- यहाँ आश्रित का वहीं अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5- रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	प्रति-या पत्नी स्वयं	आश्रित-1 विनिता	आश्रित-2 सुमित	आश्रित-3 X नशिद
(i)	हाथ में नकदी	5000रू	5000रू	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	भा. स्टेट बैंक केसला शाखा में बचत खाते में जमा राशि 1) 46,877रू 2) 1,496रू या एच.ए. संस्था केसला में बचत खाते 2175रू	भा. स्टेट बैंक केसला शाखा में बचत खाता 12,221रू	1) भा. स्टेट बैंक केसला में सवाधी जमा 20,000रू 2) भा. स्टेट बैंक केसला में बचत खाते में 7,199रू	भा. स्टेट बैंक केसला में बचत खाता 202रू	लागू नहीं
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/ शेयरों तथा युनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं

(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/ अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(vi)	मोटरयान / वायुयान/याट /पोत (भेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	मोटरसाइकिल MPOSAD 5490,वर्ष 1972 10,000 रु.	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(vii)	जोहरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यारे)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि ढाबों/ हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
(ix)	समग्र कुल मूल्य	61,048 रु.	37,721 रु.	27,199 रु.	202 रु.	लागू नहीं

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यारे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इत प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	प्रति या पत्नी सुमन	आश्रित-1 विनिता	आश्रित-2 सुमित	आश्रित-3 X
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	ग्राम केवला विश्व टेम्पल 458/5	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शून्य	क्षेत्र एक एकड़	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	2007	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	24,000 रु.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास संनिमाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	70,000 रु.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	निल	निल	निल	निल	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	निल	निल	निल	निल	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	निल	निल	निल	निल	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	कच्चा मसन भूमिपुरा केसला	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1000 वर्गफुट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	750 वर्गफुट	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां, भूमि मसन लखनऊ	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	20,000 रु.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	निल	निल	निल	निल	लागू नहीं
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	20,000 रु.	70,000 रु.	निल	निल	लागू नहीं

3.4(8) में, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

2/2/22

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समस्त रकम के ब्यौरे का पथक विवरण दे)

क्रम सं.	विवरण	स्वरुप	प्रति या पत्नी सुप्रसबार्ड	आश्रित-1 विविता	आश्रित-2 सुमित	आश्रित-3 X
(i)	बैंक / वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	निल	प्रो. सह. सह. संस्था, केरल का अल्पमालीन कृषि ऋण 6000 रु.	निल	निल	लागू नहीं
	पूर्वाका वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	निल	निल	निल	निल	लागू नहीं
	कोई अन्य दायित्व	निल	निल	निल	निल	लागू नहीं
	दायित्वों का कुल योग	निल	6,000 रु.	निल	निल	लागू नहीं
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	निल	निल	निल	निल	लागू नहीं
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	निल	निल	निल	निल	लागू नहीं
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	निल	निल	निल	निल	लागू नहीं
	टेलीफोन/ मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	निल	निल	निल	निल	लागू नहीं
	सरकारी परिवहन (क्यायान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	निल	निल	निल	निल	लागू नहीं
	आय-कर शोध्य	निल	निल	निल	निल	लागू नहीं
	घनकर शोध्य	निल	निल	निल	निल	लागू नहीं
	सेवाकर शोध्य	निल	निल	निल	निल	लागू नहीं
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	निल	निल	निल	निल	लागू नहीं
	विक्रयकर शोध्य	निल	निल	निल	निल	लागू नहीं
	कोई अन्य शोध्य	निल	निल	निल	निल	लागू नहीं
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	निल	निल	निल	निल	लागू नहीं

(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्फलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके सम्म यह लंबित है का वर्णन करें।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
------	---	------	------	------	------	-----------

(9) वृत्ति या उपजीविका के बारे में :

(क) स्वयं खेती

(ख) पति या पत्नी गृहिणी

(10) मेरी दैनिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

कक्षा 7, शा. ब्. मा. स्कूल, केसला, जिला होशंगाबाद (म.प्र.), 1987

(प्रमाणपत्र/ डिप्लोमा/ डिग्री पद्वक्रम के पूर्ण प्रत्येक का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में देते हुए विद्यालय/ महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्योरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्योरों का उद्घरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कुं. फागराम	
2.	ठाक का पूरा पता	श्री. केसला, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)	
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	29, खेतल, म.प्र.	
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा "स्वतंत्र" लिखें)	समाजवादी जन परिषद	
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरहित किए गए हैं।	निल	
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [ऊपर गद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न]	निल	
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए]	निल	
7.	का स्थायी लेखा सं.	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर : विवरणी फाइल की गई	
		कुल दर्शित आय	
	(क) अभ्यर्थी	नहीं	- आयकरदाता नहीं -
	(ख) पति या पत्नी	नहीं	- आयकरदाता नहीं -
	(ग) आश्रित	नहीं	- आयकरदाता नहीं -

8. आस्तियाँ और दायित्वों के बारे में (रूप में)		तारीख २२				
विवरण		स्वयं	प्रति-वॉ पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	61,048 रु.	37,721 रु.	27,199 रु.	202 रु.	X
ख	स्थावर आस्तियाँ					लागू नहीं
i	स्वर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	24,000 रु.	शून्य	शून्य	लागू नहीं
ii	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
की	20,000 रु.	70,000 रु.	शून्य	शून्य	लागू नहीं
iii	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	20,000 रु.	70,000 रु.	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	(क) स्वर्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य)	20,000 रु.	70,000 रु.	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	(ख) विरासती आस्तियाँ (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
9.	दायित्व					
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	निल	निल	निल	निल	लागू नहीं
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	निल	6,000 रु.	निल	निल	लागू नहीं
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	निल	निल	निल	निल	लागू नहीं
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	निल	निल	निल	निल	लागू नहीं
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	निल	6,000 रु.	निल	निल	लागू नहीं
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता: (प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ध्येरे दें।) केंसा 7, शा. व्हा. मा. वि. केंसला, जिला हीशंआब्बा, 1987					

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाजी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तार्किक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है,

(ख) मेरे प्रति या प्रति या मेरे अधिकारियों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8.9 और 10 में उल्लिखित आरिस्त या दायित्व से भिन्न कोई आरिस्त या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 4.4.14 को सत्यापित किया गया।

काशी
अभिसाही

- टिप्पण 1- शपथ-पत्र नामांकन फाईल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक फाईल किया जाना चाहिये।
- टिप्पण 2- शपथ-पत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष ली जानी चाहिये।
- टिप्पण 3- सभी स्तम्भों को भरा जाना चाहिये और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथा स्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिये।

टिप्पण 4- शपथ-पत्र टंकित या सुपादयरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिये।

टिप्पण 5- माननीय सुप्रीम कोर्ट W.P.(C) No. 121 of 2008 के निर्णय दिनांक 13.09.2013 के परिपालन में Resurgence India विरुद्ध भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के संदर्भ में अभ्यर्थी के अधूरे भरे शपथ पत्र, अभ्यर्थी के लिये आवश्यक है कि वह सभी कालम भरें। कोई भी कालम अधूरा नहीं रहे। शपथ पत्र भरते समय रिटर्निंग आफिसर (RO) यह चेक करें की नामांकन के साथ दखिल शपथ पत्र के सभी कालम भरे हो। यदि नहीं, तो रिटर्निंग आफिसर, अभ्यर्थी को एक स्मरण दे कि रिक्त कालम के विरुद्ध जानकारी दे।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि किसी कालम के सामने कोई जानकारी नहीं है तो "Nil" (निरक) या "Not Applicable" (लागू नहीं) या "Not Know" (नहीं जानता) जो भी लागू हो, वह उस कालम में लिखा जाये। उन्हें कोई भी कालम खाली नहीं छोड़ना है। यदि स्मरण के बाद भी अभ्यर्थी खाली कालम नहीं भरता है तो रिटर्निंग आफिसर (RO) द्वारा स्कूटनी के समय उसका नामांकन निरस्त करने योग्य होगा।

टिप्पण 6- शपथ पत्र के पैरा 3 में निम्नानुसार जानकारी दी जाये :-

मेरा संपर्क टेलिफोन नम्बर (नम्बर्स) है

मेरा ई मेल आई डी. (यदि है तो) है

मेरा सोशल मिडिया अकाउंट नम्बर (नम्बर्स) (यदि है तो) है

- (संवाद)
- ① राजेन्द्र S/O श्री केशरी बाल गणेश शाहपुरी
रि.सं. (नं. 5) सम्पन्न
 - ② संजय S/O श्री अविनाश पाटील शाहपुरी बैंगल
रि.सं.

Sworn Befour me on The Date 4/4/14

Shri. काशीराम S/O. W/O. श्री नन्दे सा.पो. केपला वि. शेवागण्ड
Identified

- 1. राजेश S/O केशरीबाल गणेश शाहपुर वि. बैंगल
- 2. संजय S/O अविनाश पाटील शाहपुर वि. बैंगल

काशी
Distt. Notary
4/4/14

